भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2831

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक उत्पादों की लागत कम करना

2831. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैविक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों की लागत कम करने के समाधान खोजने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान जैविक उत्पादों की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा जैविक कृषि उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नागरिकों के बीच जैविक कृषि उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जैविक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों की लागत कम करने के लिए समाधान खोजने हेतु अनुसंधान अध्ययन किए हैं। अखिल भारतीय प्राकृतिक कृषि नेटवर्क कार्यक्रम (एआईएनपी-एनएफ) (पूर्व में अखिल भारतीय जैविक कृषि नेटवर्क कार्यक्रम) के अंतर्गत विभिन्न फसल पद्धतियों के लिए जैविक कृषि पैकेज विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य पोषक तत्वों, कीट एवं रोग प्रबंधन हेतु वानस्पतिक औषधियों, बीज आदि जैसे ऑन-फार्म जैविक इनपुट को बढ़ावा देकर खेती की लागत को कम करना है।

(ख): आंध्र प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलन में है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर की स्थापना करना है। पीकेवीवाई योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ऑन-फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए, 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर विपणन और ब्रांडिंग के लिए, 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रमाणन के लिए और 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रदान की जाती है।

(ग): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1,089 किसान बाजार स्थापित किए गए हैं। इनसे बिचौलियों की संख्या कम होती है और किसानों के लिए सीधे विपणन चैनल सुदृढ़ होते हैं। राज्य सरकार प्राथमिक प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और छोटे पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक उत्पादों में मूल्यवर्धन को भी बढ़ावा दे रही है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और हानि कम की जा सके। राज्य सरकार किसानों, थोक खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं और संस्थागत उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए क्रेता-विक्रेता की बैठकें आयोजित कर रही है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 59 स्वास्थ्य एवं पोषण गांवों में फूड बास्केट मॉडल क्रियान्वित किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक कृषि उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और इसे 340 अन्य गांवों में विस्तारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, किसानों को किसान समूह और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जैविक मेलों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) एवं (ङ): सरकार ने पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों द्वारा जैविक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, किसानों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, प्रमाणन और जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैविक उत्पादों के लाभों के बारे में किसानों और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, जैविक मेले, प्रदर्शनियां और क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के माध्यम से जैविक उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

*****